



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237673
CG-DL-E-29072022-237673

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3312]
No. 3312]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

का.आ. 3477(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के हनुमान जंक्शन बाईपास (मौजूदा कि.मी. 1055.680 से कि.मी. 1060.800) (डिजाइन Ch. 0.000 से Ch. 6.720) सहित कालापरु (डिजाइन कि.मी. 1050.680) से चिन्ना अवतुपल्ली (डिजाइन कि.मी. 1076.480) तक के खंड में निर्माण (चौड़ा करने / 4/6-लेन बनाने आदि) प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित राज्य, जिला, तालुक और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट भूमि के विस्तार के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के कार्यों को करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

आंध्र प्रदेश जिला (गठन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 7) के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार के गजट भाग-I, असाधारण संख्या 482, G.25, दिनांक 03.04.2022 के तहत, नए एलुरु जिला के गठन के परिणामस्वरूप, दिनांक 07 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 07 अगस्त, 2009 में प्रकाशित अधिसूचना S. O.2067 (अ) की अनुसूची में क्रमांक संख्या 1 पर पश्चिम गोदावरी जिले के पेडापाडु मंडल के अधीन गांव का नाम 'कालापरु' को अमान्य माना जाता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में NH-16 पर कि.मी. 1050.680 से कि.मी. 1053.250 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रेवन्यू डिविजनल आफिसर, एलुरु	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH16 के कि.मी. 1050.68 से 1053.25 तक	आंध्र प्रदेश	एलुरु	पेडापाडु	1 कलापरु

[फा. सं. NHAI/PIU-VIJ/11086(P-II) /LA/NH-16/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2022

S. O. 3477(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, District, Taluks and Villages mentioned in column (4), (5), (6) & (7) respectively of the said Schedule for building (widening/4/6-laning etc.) maintenance, management and operation of the National Highway No.16 from Kalaparru (Design Km. 1050.680) to Chinna Avutupalli (Design Km. 1076.480) including Hanuman Junction Bypass (Existing Km. 1055.680 to Km. 1060.800) (Design Ch. 0.000 to Ch. 6.720) in the State of Andhra Pradesh.

Consequent to formation of new Eluru District vide Government of Andhra Pradesh Gazette Part-I, Extraordinary No. 482, G.25, dated 03.04.2022 as per Andhra Pradesh District (Formation) Act, 1974 (Act No.7 of 1974), the village name 'Kalaparru' under Pedapadu Mandal of West Godavari District at Sl.No.1 in the Schedule to the Notification S.O. 2067 (E), dated the 7th August, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th August, 2009, stands invalid.

SCHEDULE

Acquisition of land in the stretch from Km. 1050.680 to Km. 1053.250 on NH-16 in the State of Andhra Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	REVENUE DIVISIONAL OFFICER, ELURU	1050.68 KM. To 1053.25 KM	ANDHRA PRADESH	Eluru	Pedapadu	1 Kalaparru

[F. No. NHAI/PIU-VIJ/11086(P-II) /LA/NH-16/2022]

RAJESH GUPTA, Director